न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 139/2016 (225 आरटीए) भागीरथराम वगै. बनाम भूराराम वगै.

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2016/00145)

1 भागीरथराम पुत्र श्री बिरबलराम
2 राजुराम पुत्र श्री बिरबलराम,
3 पूनाराम पुत्र श्री बिरबलराम,
4 मोहनलाल पुत्र श्री बिरबलराम,
5 रामप्यारी पत्नी श्री बिरबलराम,
6 बिरबलराम पुत्र श्री चौखाराम,
7 सुरताराम पुत्र श्री भरमलराम,
8 बालकिशन पुत्र श्री भरमलराम,
9 बंशीलाल पुत्र श्री भरमलराम,
10 मालाराम पुत्र श्री भरमलराम,
11 भंवरलाल पुत्र श्री भरमलराम,
12 भरमलराम पुत्र श्री चौखाराम,
13 झीमादेवी पत्नी श्री भरमलराम

सभी जाति विश्नोई, निवासीगण ग्राम जम्भशक्ति नगर, राणेरी, तहसील बाप, जिला जोधपुर।

.... अपीलांटस्

बनाम

1 भूराराम पुत्र श्री सुजाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम जम्भशक्ति नगर, राणेरी, तहसील बाप, जिला जोधपुर।
2 राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार बाप।

.... रेस्सपोडेंटस्

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर सत्यमेव जयते

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर बाप दिनांक 24.10.2016 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 86/2014

उपस्थित :

1 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री लादूराम पूनिया।
2 रेस्पो. सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री पूनाराम विश्नोई।
3 रेस्पो. सं. 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।

निर्णय

31/8
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

दिनांक : 31.08.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर बाप के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 86/2014 में पारित आदेश दिनांक 24.10.2016 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।
2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर बाप के समक्ष रेस्पो. सं. 1 ने ग्राम राणेरी नवसृजित गांव जम्भशक्ति नगर के भूमि खसरा नं. 367/935 रकबा 104 बीघा 16 बिस्वा में से 45 बीघा 8 बिस्वा की खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा के लिए एक वाद पेश किया तथा वाद के साथ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 86/2014 पेश किया। इस प्रार्थना पत्र के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए अपीलांट्स/प्रतिवादीगण ने जबाब प्रस्तुत किया तथा साथ में ही काउंटर क्लेम अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जागीर काल से वादी के पिता के कब्जे का विवादित खेत का रकबा 59 बीघा 8 बिस्वा था, तथा वादी के पिता के खेत के पूर्व की तरफ प्रतिवादीगण के पूर्वज चोखाराम का 45 बीघा 8 बिस्वा का खेत आया हुआ था, उक्त दोनों खेतों को एक साथ समावेश कर खसरा नं. 367 के रूप में रकबा 104 बीघा 16 बिस्वा का पर्चा लगान सं. 111 गलती से दर्ज कर दिया। उक्त गलत इन्द्राज के विरुद्ध भूमि के काबिजान खातेदार की ओर से उज्रदारी सं. 208/1959 प्रस्तुत हुई उसके बाद जांच मजमे आम में सुनवाई कर निर्णय दिनांक 08.01.1960 के अनुसार वादी के पिता के नाम का पर्चा लगान सं. 111 वादी के पिता की हाजरी में निरस्त करने का आदेश दिया गया। तथा उसके बाद पर्चा लगान सं. 193 व 194 जारी किए गए हैं। वादी के कब्जे मे आज भी 59 बीघा 16 बिस्वा भूमि है। वादी ने अपने खेत का रकबा 104 बीघा 16 बिस्वा गलत बताया है, उक्त रकबे पर उसका कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। वादी तथा प्रतिवादी के बीच तारबंदी की माठ सीमा वर्षों से तारबंदी की हुई है। वादी के पिता के नाम का पट्टा सं. 111 को सुजा की हाजिरी में 54 वर्ष पहले कैंसिल कर दिया गया था, जिसका वादी के पिता सुजा ने कभी कोई ऐतराज नहीं किया अब वादी की नियत खराब होने से वादी ने झूठा दावा केवल प्रतिवादीगण को हैरान परेशान करने की नियत से प्रस्तुत किया है। खसरा सं. 367/935 रकबा 45 बीघा 8 बिस्वा प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी का है जिसका जागीर काल से प्रतिवादीगण लगान अदा करते आ रहे हैं। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का तुलनात्मक संतुलन वादी के पक्ष में नहीं होकर प्रतिवादीगण के पक्ष में हैं। प्रतिवादीगण भूमि के दर्ज काबिज खातेदार काश्तकार है तथा वादी का उक्त रकबे पर कोई कब्जा काश्त नहीं है इसलिए वादी का वाद

31/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे तथा प्रतिवादीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी के पक्ष में वाद के लंबित रहने तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। विद्वान सहायक कलेक्टर ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात की अनदेखी करके अपने आदेश दिनांक 24.10.2016 के द्वारा वादी रेस्पो. सं. 1 के अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को विरुद्ध अपीलार्थीगण स्वीकार करने का आदेश दे दिया तथा अपीलार्थीगण के काउण्टर अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश नहीं दिया तथा जानबूझकर अनिर्णित रखा। अतः अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.10.2016 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री लादूराम पूनिया ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि विद्वान सहायक कलेक्टर बाप द्वारा अपीलार्थीगण रिकार्डेड खातेदारान के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में भारी विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की गई है। विद्वान सहायक कलेक्टर द्वारा पर्चा लगान सं. 111 के आधार पर राजस्व रिकार्ड में भूमि सुजा वल्द मेगा के नाम होना मानने में भारी भूल की गई है, इसमें निवेदन यह करना है कि परचा लगान सं. 111 को मौका तस्दीक में रकबा गलत पाए जाने के बाद जांच निरस्त करने का आदेश दिया तथा उस पर निरस्तीकरण की टिप्पणी कर दी जिस पर सुजा की अंगुष्ठ निशानी दर्ज की हुई है इस प्रकार खारिज दस्तावेज को साक्ष्य में ग्राह्य नहीं रहता है। विद्वान सहायक कलेक्टर द्वारा पर्चा लगान सं. 111 पर लगे नोट के आदेश की प्रति अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं करने के आधार पर उनके विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में भारी भूल की गई है। उक्त आदेश व टिप्पणी को वादी ने गलत होना बताया है, तब उसको प्रस्तुत करने का भार कानूनी वादी पर रहता है जो वादी के पास है। जिसको वादी ने जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अलावा भी उक्त आदेश जिला कलेक्टर के रिकार्ड में जमा है। जिसको विद्वान सहायक कलेक्टर मंगाकर कार्यवाही में ले सकते थे इसके आधार पर किसी पक्षकार के विरुद्ध कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। रेस्पो. वादी ने वर्तमान में कब्जे बाबत कोई सबूत पत्रावली में पेश नहीं किया है विद्वान सहायक कलेक्टर ने भी मौके की जांच रिपोर्ट तलब नहीं की है व बिना मौका जांच के वादग्रस्त आराजी पर वादी का कब्जा मानने में भूल की है। रेस्पो. सं. 1 ने उसके पिता के पक्ष मे पर्चा लगान संख्या 111 निरस्त होने के 54 वर्ष

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्श्चात वर्तमान वाद प्रस्तुत किया है। तथा उक्त अवधि के नियमित कब्जे का कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया है। तब उसके पक्ष में किसी प्रकार का प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का बिंदु नहीं बनता है। अपीलांट्स पीढ़ियों से वक्त जागीर एवं सेटलमेंट के समय से विवादित भूमि खसरा नं. 367/935 रकबा 45 बीघा 8 बिस्वा पर काबिज खातेदार काश्तकार हैं, तब से राजस्व रिकार्ड उसके पक्ष में हैं तथा मौके पर अपीलार्थीगण की दो ढाणियां व पानी का कुण्ड बनाकर काबिज है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का तुलनात्मक संतुलन अपीलांट्स के पक्ष में है रेस्पो. सं. 1 अपीलाधीन दावे के आढ़ में अपीलांट्स के कब्जे काश्त में दखल करने पर उतारू है। यदि वह अपने उद्देश्य में सफल हो गया, तो अपीलांट्स को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है। जिसके लिए अपीलांट्स ने काउंटर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो स्वीकार किए जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.10.2016 को निरस्त किए जाने का निवेदन किया तथा रेस्पो. सं. 1 का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए अपीलांट्स का काउंटर अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलांट्स के पक्ष में व रेस्पो. सं.1 के विरुद्ध वाद के लंबित रहने तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया।

5 रेस्पो. सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री पूनाराम विश्नोई ने बहस में कथन किया कि मूल गांव राणेरी वर्तमान राजस्व गांव जम्भशक्ति नगर के खसरा नंबर 367 कुल रकबा 104 बीघा 16 बिस्वा एवं खसरा नंबर 366 रकबा 8 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी के खातेदार प्रार्थी के पिता सुजा वल्द मेगा कौम भांबी थे। प्रार्थी सुजा पुत्र मेगा के एक मात्र प्रथम श्रेणी के वारिस हैं। जिस समय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 15.10.55 को लागू हुआ उस वक्त प्रार्थी के पिता का उपरोक्त खसरे में कब्जा काश्त होने के कारण उन्हें खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गए। प्रार्थी के पिता के नाम संवत 2012–14 की गिरदावरी स्लिप में खसरा नं. 367 रकबा 104 बीघा 16 बिस्वा दर्ज है। सुजा पुत्र मेगा के देहांत होने के उपरांत इस संपूर्ण भूमि के एक मात्र कानूनी मालिक रेस्पो. सं. 1/प्रार्थी ही है। खसरा नं. 367 रकबा 104 बीघा 16 बिस्वा तथा खसरा नं. 366 रकबा 8 बिस्वा का पर्चा लगान संख्या 111 प्रार्थी के पिता सुजा वल्द मेगा के नाम से बना था लेकिन भू–प्रबंध विभाग द्वारा दिनांक 08.01.1960 को पर्चा संख्या 111 खारिज कर नया पर्चा संख्या 193 बना दिया जिसमें खसरा नंबर 367 रकबा 104 बीघा 16 बिस्वा में से 59 बीघा 8 बिस्वा भूमि रेस्पो. सं. 1/प्रार्थी के पिता के नाम रख दिया तथा बाकी रकबा 45 बीघा 8 बिस्वा भूमि पर्चा संख्या 192 के जरिए चौखाराम पुत्र खानुराम कौम विश्नोई के नाम खातेदारी में दर्ज

कर दिया तथा खसरा नं. 366 रकबा 8 बिस्वा रेस्पो. सं. 1/प्रार्थी के पिता के नाम यथावत रखा। भू–प्रबंध विभाग को खातेदार काश्तकार की खातेदारी की भूमि में रकबे को कम या अधिक करने का कानूनन कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं हैं। इस प्रकार भू–प्रबंध विभाग खसरा नं. 367 रकबा 104 बीघा 16 बिस्वा को अपीलांट के पिता के नाम पर्चा लगान सं. 111 मे दर्ज थी उसको कम करके नया पर्चा संख्या 192 बनाकर नया खसरा 367/935 में 45 बीघा भूमि चौखाराम पुत्र खानुराम के नाम क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर दर्ज की है। सैटलमेंट के समय सेटलमेंट विभाग द्वारा जो नक्शा बनाया गया उसमें मूल खसरा नं. 367 रकबा 104 बीघा 16 बिस्वा ही है। जिसमें खसरा नं. 367/935 अंकित नहीं हैं। इस प्रकार भू–प्रबंध विभाग द्वारा अपीलांट्स/अप्रार्थीगण के पिता चौखाराम से मिली भगत करते हुए रेस्पो.सं. 1/प्रार्थी के पिता की खातेदारी की भूमि को कम कर नया खसरा अंकित कर अपीलांट्स के नाम 45 बीघा 8 बिस्वा भूमि दर्ज कर मिसल बंदोबस्त में भी स्पष्ट कांट–छांट नजर आ रही है तथा रेवेन्यू रिकार्ड में ओवर राइटिंग करते हुए नया खसरा नं. 367/935 रकबा 45 बीघा 8 बिस्वा अपीलांट्स के नाम दर्ज किया गया है। दिनांक 25.03.2014 को अपीलांट्स मौके पर आए और रेस्पो. सं. 1 को धमकी दी कि इस खसरे में 45 बीघा छोड़कर ही तुम काश्त करना क्योंकि 45 बीघा हमारे नाम से दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में गलत एवं गैर कानूनी इन्द्राजों के आधार पर इनका नाजायज फायदा उठाते हुए अपीलांट्स अब किसी भी समय रेस्पो. सं. 1 को मौके से बेदखल कर सकते हैं एवं आगे हस्तांतरण भी कर सकते हैं इन परिस्थितियों में रेस्पो. सं. 1 अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी था। अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षकारान की बहस सुनकर यह अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो बिंदु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का विवेचन करने के बाद अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमें अपील के स्तर पर किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइस नहीं हैं। रेस्पो. 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 14.10.2008 पेज 681 पेश किया। तदनुसार अपील खारिज करने का निवेदन किया।

6 रेस्पो. सं. 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में राज्य सरकार का हित निहित नहीं हैं अतः तथ्यों एवं परिस्थितियों के मध्यनजर उचित निर्णय पारित करने का निवेदन किया।

7 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

8 इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने जो विवेचन किया है व तदनुसार जो

31/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निर्णय पारित किया है वह इस प्रकार है :–

"वकुलाय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया एवं हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया। मूल गांव राणेरी वर्तमान राजस्व गांव जम्भशक्ति नगर के खसरा नं. 367 कुल रकबा 104 बीघा भूमि वक्त सेटलमेंट प्रार्थीगण सुजा वल्द मेगा के नाम राजस्व रिकार्ड मे थी। जो भू–प्रबंध विभाग द्वारा जारी खसरा नं. 367 रकबा 104 बीघा 16 बिस्वा का प्रार्थी के पिता के नाम पर्चा लगान सं. 111 से प्रमाणित है। तथा बाद में सेटलमेंट कर्मचारियों द्वारा पुनः इसी खसरा का दूसरा पर्चा लगान संख्या 192 बनाकर नया खसरा नं. 367/935 में 45 बीघा 8 बिस्वा भूमि चौखाराम पुत्र खानुराम के नाम दर्ज कर दी और उक्त नए इन्द्राजात जरिए नोट अंकित किए गए और नक्शा ट्रेस में खसरा नंबर 367/935 की कोई तरमीम भी नहीं हैं जो रिकार्ड से प्रमाणित है। अप्रार्थीगण ने पर्चा लगान सं. 192 में लगे नोट के आदेश की कोई प्रति भी पेश नहीं की है और अप्रार्थीगण गलत राजस्व इन्द्राजात के आधार पर प्रार्थीगण को 45 बीघा भूमि से बेदखल करना चाहते हैं। जो पत्रावली पर आई साक्ष्य से साबित है। संपूर्ण पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में हैं। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में हैं। और उक्त विवादग्रस्त भूमि का कब्जा भी मौके पर प्रार्थीगण का ही है इसलिए अगर अप्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण को बेदखल कर देते हैं तो अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीगण को होगी। संपूर्ण विचारण एवं अवलोकन से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तथा आदेश दिया गया कि मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थीगण के पक्ष में और अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण मूल गांव राणेरी वर्तमान राजस्व गांव जम्भशक्ति नगर के खसरा नं. 367 कुल रकबा 104 बीघा 16 बिस्वा भूमि के मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।"

9 अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त आदेश पूर्ण विवेचन कर विवादग्रस्त आराजी की मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पारित किए हैं। अतः यह न्यायालय इस आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता है। जहां तक अपीलांट का तर्क है कि उसका काउंटर क्लेम का निर्णय नहीं किया है वह तकनीकी त्रुटि है। जब प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया है तो अपीलांट/अप्रार्थीगण का काउंटर क्लेम स्वतः ही खारिज हो जाता है। इस न्यायालय स्तर पर भी अपीलांट ने ऐसा कोई तथ्य नहीं बताया है जिससे उसके काउंटर क्लेम के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता हो। जैसा कि उपरोक्त विवेचन में आ चुका है कि जब मौके पर मूल खसरा नं. 367 रकबा 104 बीघा 16 बिस्वा में कोई

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तरमीम ही नहीं हैं तो अपीलांट का कब्जा कहां पर होगा? सेटलमेंट अधिकारियों ने जो पर्चा लगान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय के कब्जे के आधार पर दिनांक 23.12.1958 को जारी किया गया जिसमें खसरा नं. 267 रकबा 104 बीघा 16 बिस्वा व जनवरी 1959 में 5 रु. 24 पैसे लगान के निर्धारित किए हैं। जिसे 08.01.1960 को खारिज किया गया है जबकि सेटलमेंट अधिकारियों को इस प्रकार किसी की खातेदारी समाप्त करने या नए खातेदार को खातेदारी देने का अधिकार नहीं हैं। रेस्पों. के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नजीरो से यह भली भांति तय हो जाता है। इस प्रकरण में अपीलांट अपने काउंटर क्लेम के संदर्भ में यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आखिर उसको 45 बीघा 8 बिस्वा की खातेदारी किस आधार पर मिली है इसके अलावा अपीलांट ने सेटलमेंट से पूर्व का ऐसा कोई रिकार्ड पेश नहीं किया है जिससे इसकी पुष्ठि होती हो। अपीलांट का कथन है कि यह उसका दायित्व नहीं है उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि काउंटर क्लेम में प्रथम दृष्टया मामला सिद्व करना अपीलांट का भी दायित्व बनता है तथा उसको खातेदारी प्राप्त करने का आधार तत्समय के दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित करना आवश्यक है जो अपीलांट ने नहीं किया है ऐसी स्थिति में रेस्पो. सं. 1/प्रार्थी का ही प्रथम दृष्टया मामला बनता है। अपीलांट का इस प्रकरण में यह कहना पर्याप्त नहीं हैं कि उसका 45 बीघा भूमि पर कब्जा है चूंकि खसरा नं. 367 में कोई तरमीम नहीं हैं अतः उसको उस विशिष्ट भू–भाग को बताना था जहां कब्जा है। जब खसरा नं. 367/935 रकबा 45 बीघा 8 बिस्वा को अलग किया तब मौके पर कब्जा होता तो निश्चित ही नक्शा ट्रेस में भी उस विशिष्ट भू–भाग की तरमीम होती लेकिन नक्शा ट्रेस में तरमीम नहीं होने से मौके पर कब्जे की पुष्ठि नहीं होती है। इतना ही नहीं अपीलांट ने अपने काउंटर क्लेम के साथ भी उस भू–भाग को राजस्व नक्शे में अपनी ओर से नहीं दर्शाया जाकर पेश नहीं किया है जहां पर वह 45 बीघा 8 बिस्वा भूमि के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा का काउंटर क्लेम चाहता है। ऐसी स्थिति में केवल मात्र विवरण या रकबा लिखने से काउंटर क्लेम स्वीकार योग्य नहीं हैं। रेस्पो. 1 के अधिवक्ता का कथन है कि यह भूमि अनुसूचित जाति के खातेदार की है जिसको सेटलमेंट अधिकारियों को दिनांक 08.01.1960 को गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति के नाम खातेदारी दर्ज करने का अधिकार नहीं हैं क्योकि यह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में दिनांक 22.09.1956 से धारा 42 का प्रावधान जोड़ कर अनुसूचित जाति के खातेदार की भूमि को गैर अनुसूचित जाति के नाम स्थानांतरण व विक्रय पर प्रतिबंधित कर दिया गया। ऐसी स्थिति में सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा अनुसूचित जाति के खातेदारी की भूमि को गैर

31/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अनुसूचित जाति के व्यक्ति के नाम दर्ज नहीं किया जा सकता। इस प्रावधान के अनुसार सहमति से या डिक्री से भी खातेदारी अधिकार हस्तांरित नहीं हो सकते। इस प्रकरण में सेटलमेंट अधिकारियों ने अनुसूचित जाति के खातेदार की भूमि को गैर अनुसूचित जाति के नाम खातेदारी में प्रथम दृष्टया दर्ज करना पाया जाता है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के अनुसार भी प्रतिबंधित है। रेस्पो. के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नजीर आर.आर.डी. 14.10.2008 पेज 681 से इसकी पुष्ठि होती है। प्रार्थना पत्र की स्टेज पर उपलब्ध साक्ष्यों से प्रथम दृष्टया मामला रेस्पो. सं. 1 प्रार्थी के पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का बिंदु भी उपरोक्त विवेचन अनुसार रेस्पो. सं. 1/प्रार्थी के पक्ष में साबित है। इसलिए उसका अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय ने सही स्वीकार किया है। दूसरी ओर अपीलांट्स/अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिंदु भी अपीलांट्स के पक्ष में साबित नहीं होता है। अतः अपीलांट्स/अप्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा का काउंटर क्लेम खारिज किया जाता है।

10 अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर बाप का अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.10.2016 यथावत रखा जाता है तथा अपीलांट्स/अप्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा का काउंटर क्लेम खारिज किया जाता है।

31/8/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

11 निर्णय आज दिनांक 31.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/8/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर